रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2006/भाद्र 16, 1928

No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2006/BHADRA 16, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (प) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील प्राधिकारी को अपील नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपील प्राधिकारी को अपील (संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अपील प्राधिकारी के अपील नियम, 2004 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(3) **अपील प्राधिकारी.**–धारा 127 के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अपील प्राधिकारी का गठन करेगी जो ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगा कि ऐसे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास विद्युत प्रभारों के निर्धारण से संबंधित विषयों का ज्ञान होगा और उनमें से कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत प्रदायकर्ता की क्षेत्रीय अधिकारिता के कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होगा" ।

[फा. सं. 23/63/2003-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में तारीख 16 अप्रैल, 2004 को सा.का.नि. 256(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2006

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by clause (u) of Sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Appeal to the Appellate Authority Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Appeal to the Appellate Authority (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appeal to the Appellate Authority Rules, 2004, for rule (3), the following rule shall be substituted, namely :—

"(3) **Appellate Authority**.—For the purpose of appeal under Section 127, the State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute an Appellate Authority consisting of one or more persons such that one of the persons shall have knowledge of matters related to assessment of electricity charges and none of them shall be directly related to the affairs of the territorial jurisdiction of the licensee or supplier of the electricity".

[F. No. 23/63/2003-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Note : The Principal Rules were published *vide* G.S.R. 256(E), dated the 16th April, 2004 in the Gazette of India dated the 16th April, 2004.

2780 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.